

प्ररूप - 1 क
प्राधिकरण के लिए प्ररूप
(कृष्या विनियम 13 (1) और 13(6) (1) देखें)
जिससे संबंधित हो

मैं /हम ----- बीजों / प्रवर्धन सामग्री
के रजिस्ट्रीकृत प्रजनक हूँ / हैं, मेरे /हमारे पास इसका प्रमाण पत्र संख्या -----
है और अभिधात सं. ----- है,
----- के संबंध में निवासी ----- को
निम्नलिखित अधिकार प्रदत्त करते हैं ।

(जो लागू हो कृपया निशान लगाएं)

- क. उत्पाद का अधिकार
- ख. विक्रय का अधिकार
- ग. विपणन का अधिकार
- घ. वितरण का अधिकार
- ड. नीचे दिया गया कोई अन्य अधिकार

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 28 की उप-धारा (2) के अधीन
प्राधिकरण के इस विलेख के अधीन प्रदत्त अधिकार निम्नलिखित शर्तों और निबन्धनों के अधीन होंगे :-

(1) अवधि

इस प्राधिकरण की अवधि रजिस्ट्रीकृत पौधा प्रजनक के पूर्ण स्ववविक पर नवीकरण के अधीन केवल
----- की अवधि के लिए होगी ।

(2) पुनरीक्षण

प्राधिकरण के लिखत को उपरोक्त में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत प्रजनन द्वारा खंड (1) के अधीन
उल्लिखित प्राधिकरण की अवधि के दौरान किसी भी समय किसी उपांतरण / पुनरीक्षण के अधीन है ।

(3) राज्य क्षेत्र

इस प्राधिकरण के लिखत द्वारा प्रदत्त या सृजित अधिकारों ओर दायित्वों का ----- क्षेत्र (भौगोलिक क्षेत्र विनिर्दिष्ट करें) के भीतर ही प्रचालन का अर्थ होगा और उसी के भीतर विधिमान्य होगा और न कि इसमें उल्लिखित राज्य क्षेत्रों से परे ।

(4) पर्यावसान

इस प्राधिकरण के लिखित को रजिस्ट्रीकृत प्रजनक के एकमात्र विवके पर किसी भी समय पर्यावसान/निरस्त किया जा सकता है। प्राधिकरण के लिखत को इस लिखत के खण्ड (1) के अधीन उल्लिखित शर्त के भीतर पर्यावसान किया होगा यदि इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की किसी धारा और उसमें बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है ।

(5) एकल लिखत

इस प्राधिकरण के लिखत को, जहां तक पौधा किस्म और कृषक अधिकार अधिनियम 2001 की धारा 28 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत इसमें उपर्युक्त नामदिष्ट पंजीकृत प्रजनक द्वारा इसमें प्राधिकृत या सृजित अधिकारों का संबंध है, एकमात्र साधन माना जाएगा ।

(6) कोई उत्तराधिकार नहीं

इस प्राधिकरण के लिखत प्राधिकृत या सृजित कार्यो या अधिकारों का उत्तराधिकार योग्य नहीं समझा जाएगा और अतः इसमें प्राधिकृत व्यक्ति (यों) की मृत्यु/ दीवालियापन/ समापन के मामले में, इस प्राधिकरण के लिखत को पर्यावसान हुआ समझा जाएगा ।

हस्ताक्षर

(रजिस्ट्रीकृत पौधा किस्म प्रजनक का नाम)

साक्षी :

(क)

(ख)